संख्या - 17/2016/220/छप्पन-2016-60/93

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2016

विषय : राजकीय हवाई पट्टी, श्रावस्ती की रि-सरफेसिंग एवं विस्तारीकरण के कार्यों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 940/ना0उ0नि0/श्रावस्ती/ह0पट्टी, दिनांक 02.2.2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 1629/छप्पन-14-60/13, दिनांक 13.12.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हवाई पट्टी, श्रावस्ती की रि-सरफेसिंग एवं विस्तारीकरण के कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था राइट्स लिमिटेड, गुडगॉव द्वारा गठित आगणन रूपये 919.65 लाख के सापेक्ष रूपये 828.73 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 4.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रूपये 3,70,29,897/- (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख उनतीस हजार आठ सौ सनतानबे मात्र) की धनराशि का व्यय कर लिया गया है। अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक अंश का उपयोग कर लिया है। कार्यो की भौतिक स्थिति संतोषजनक पायी गयी है। अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रयोजना पर व्यय के लिये द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 4,28,00,000/- (रूपये चार करोड़ अट्ठाइस लाख मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या- 1629/छप्पन-14-60/13, दिनांक 13.12.2014 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा इंगित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 17/2016/220(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
5- महाप्रबन्धक, राइट्स लि0, गुडगॉव।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।